



**INFUSION NOTES**

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

# RAS

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE  
COMMISSION

प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा हेतु

भाग - 7

भारत + विश्व + राजस्थान की राजव्यवस्था

## प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “RAS (Rajasthan Administrative Service) (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु)” को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive Exams” भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे /

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : [contact@infusionnotes.com](mailto:contact@infusionnotes.com)

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

Whatsapp Link- <https://wa.link/uwc5lp>

Online Order Link- <https://bit.ly/3X6MGue>

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम (2024)

भारतीय संविधान, राजव्यवस्था और विश्व राजनीति		
क्र.सं.	अध्याय	पेज नं.
1.	<b>संविधान निर्माण</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• राजव्यवस्था का परिचय</li> <li>• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि</li> <li>• संविधान सभा</li> <li>• सारांश</li> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	1
2.	<b>भारतीय संविधान की विशेषताएँ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• विभिन्न विशेषताओं की व्याख्या</li> <li>• भारतीय संविधान के स्रोत</li> <li>• भारतीय संविधान के आलोचनात्मक तथ्य</li> <li>• सारांश</li> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	10
3.	<b>संविधान संशोधन</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संविधान संशोधन की प्रक्रिया</li> <li>• साधारण बहुमत</li> <li>• विशेष बहुमत</li> <li>• संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति</li> <li>• प्रमुख संशोधन</li> <li>• सारांश</li> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> <li>• मूल ढांचा (बुनियादी संरचना)</li> </ul>	16
4.	<b>उद्देशिका (प्रस्तावना)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रस्तावना के प्रमुख शब्दों की व्याख्या</li> <li>• सारांश</li> </ul>	25

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	
5.	<b>मौलिक अधिकार</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ</li> <li>• मौलिक अधिकारों की व्याख्या</li> <li>• मौलिक अधिकारों की आलोचना</li> <li>• मूल अधिकारों के महत्व</li> <li>• सारांश</li> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	33
6.	<b>नीति निदेशक तत्व</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• नीति निदेशक तत्व की व्याख्या</li> <li>• मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्वों में अन्तर</li> <li>• नीति निदेशक तत्वों की कुछ टिप्पणी</li> <li>• नीति निदेशक तत्व की विशेषताएँ</li> <li>• मूल अधिकारों एवं नीति-निदेशक तत्वों में टकराव</li> <li>• नीति निदेशक तत्वों की आलोचना</li> <li>• सारांश</li> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	44
7.	<b>मूल कर्तव्य</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• मूल कर्तव्यों की विशेषताएँ</li> <li>• मूल कर्तव्यों का वर्गीकरण</li> <li>• मूल कर्तव्यों से सम्बंधित समितियां</li> <li>• मूल कर्तव्यों की आलोचना</li> <li>• प्रासंगिकता</li> <li>• मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझाव</li> <li>• सारांश</li> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	50
8.	<b>राष्ट्रपति</b>	57

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कार्यपालिका का प्रमुख</li> <li>• स्थायी कार्यपालिका एवं अस्थायी कार्यपालिका</li> <li>• राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएँ / योग्यताएँ</li> <li>• निर्वाचन प्रणाली</li> <li>• निर्वाचन से संबंधित विवाद</li> <li>• राष्ट्रपति पर महाभियोग</li> <li>• राष्ट्रपति के कार्य / शक्तियाँ</li> <li>• राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति</li> <li>• उपराष्ट्रपति से सम्बंधित तथ्य</li> <li>• सारांश</li> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	
9.	<p><b>प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रधानमंत्री की नियुक्ति</li> <li>• प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य</li> <li>• सरकार की प्रधानमंत्री प्रणाली</li> <li>• प्रधानमंत्री पद पर गठबंधन की राजनीति का प्रभाव</li> <li>• प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन</li> <li>• मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति और कार्यकाल</li> <li>• मंत्रिपरिषद् की संरचना</li> <li>• मंत्रिपरिषद् के कार्य</li> <li>• मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व</li> <li>• प्रधानमंत्री की भूमिका</li> <li>• किचन कैबिनेट</li> <li>• वे मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री बने</li> <li>• मंत्रिपरिषद् और मंत्रीमंडल में अन्तर</li> <li>• सारांश</li> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	79

10.	<b>भारतीय संसद</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• लोकसभा</li> <li>• राज्यसभा</li> <li>• संसद में नेता</li> <li>• विपक्ष का नेता</li> <li>• संयुक्त बैठक अनुच्छेद- 108</li> <li>• संसदों की निर्हताएँ</li> <li>• सांसदों के विशेषाधिकार</li> <li>• सचेतक / Whip</li> <li>• भारत की लोकसभायें</li> <li>• संसद की कार्यवाही</li> <li>• कार्य मन्त्रणा समिति</li> <li>• <i>Lame Duck</i></li> <li>• बजट का प्रस्तुतीकरण</li> <li>• धन-विधेयक (अनुच्छेद- 110)</li> <li>• अध्याक्षात्मक शासन व्यवस्था का सकारात्मक पक्ष</li> <li>• सारांश</li> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	86
11.	<b>केन्द्र- राज्य सम्बन्ध</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• विधायी संबंध</li> <li>• प्रशासनिक संबंध</li> <li>• वित्तीय संबंध</li> <li>• केन्द्र और राज्य के मध्य तनाव उत्पन्न होने के कारण</li> <li>• केन्द्र - राज्य समक्षों ने सुधार के उद्देश्य से गठित आयोग</li> <li>• केन्द्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद</li> <li>• सारांश</li> </ul>	99

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	
12.	<p>उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुत्रावलोकन</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• अनुच्छेद - 124</li> <li>• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हता</li> <li>• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया</li> <li>• सुप्रीम कोर्ट की भूमिका</li> <li>• राष्ट्रपति का सलाहकार</li> <li>• उच्च न्यायालय</li> <li>• न्यायिक पुनरावलोकन / समीक्षा</li> <li>• मुख्य न्यायाधीश रमन्ना की न्यायिक समीक्षा पर टिप्पणी</li> <li>• संसद और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य सर्वोच्चता संघर्ष</li> <li>• न्यायिक सक्रियता</li> <li>• सारांश</li> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	102
13.	<p>निर्वाचन आयोग</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संरचना</li> <li>• प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त</li> <li>• आयोग के सदस्यों की पदावधि तथा पद से हटाया जाना</li> <li>• बहुसदस्यी निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्थिति</li> <li>• निर्वाचन आयोग का कार्य</li> <li>• वयस्क मताधिकार का सिद्धांत (अनु. 326)</li> <li>• चुनाव सुधार समस्याएं और समाधान की संभावनाएं</li> <li>• सारांश</li> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	114

14.	<p>नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• अनुच्छेद - 148 -151</li> <li>• नियुक्ति की शर्तें</li> <li>• शक्तियां एवं कार्य</li> <li>• CAG की भूमिका</li> <li>• सारांश</li> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	119
15.	<p>नीति आयोग</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• नीति आयोग की संरचना</li> <li>• नीति आयोग के उद्देश्य</li> <li>• नीति आयोग के कार्य</li> <li>• सारांश</li> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	122
16.	<p>केंद्रीय सतर्कता आयोग</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• पृष्ठभूमि</li> <li>• संरचना</li> <li>• कार्य</li> <li>• लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013</li> <li>• CVC की सीमाएँ</li> <li>• निष्कर्ष</li> <li>• सारांश</li> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	124
17.	<p>संघ लोक सेवा आयोग</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संघ लोक सेवा आयोग से सम्बंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद</li> <li>• संघ लोक सेवा आयोग की संरचना</li> </ul>	130



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल व पदच्युति</li> <li>• संघ लोक सेवा आयोग के कार्य</li> <li>• सीमाएं</li> <li>• आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पुनर्नियुक्ति</li> </ul>	
18.	<p><b>लोकपाल</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि</li> <li>• लोकपाल की आवश्यकता</li> <li>• लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013</li> <li>• लोकपाल की संरचना</li> <li>• लोकपाल का अधिकार - क्षेत्र</li> <li>• लोकपाल की शक्तियाँ</li> <li>• निष्कर्ष</li> <li>• सारांश</li> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	131
19.	<p><b>केंद्रीय सूचना आयोग</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• सूचना का अधिकार</li> <li>• केंद्रीय सूचना आयोग</li> <li>• केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना</li> <li>• कार्यकाल एवं सेवा शर्तें</li> <li>• केन्द्रीय सूचना आयोग की शक्तियां एवं कार्य</li> <li>• सूचना प्राप्त करने के आवेदन कैसे दाखिल किया जाता है</li> <li>• सारांश</li> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	134

20.	<p>राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• आयोग का गठन</li> <li>• आयोग के प्रमुख कार्य</li> <li>• आयोग की कार्य प्रणाली</li> <li>• आयोग की भूमिका</li> <li>• सारांश</li> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	139
21.	<p>भारत में लोकतान्त्रिक राजनीति</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• राजनीतिक दल</li> <li>• राजनैतिक दलों की भूमिका/कार्य</li> <li>• चुनौतियाँ</li> <li>• बहुदलीय प्रणाली</li> <li>• भारत में दलीय व्यवस्था के गुण</li> <li>• दल बनाना तथा दल बदल</li> <li>• राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों को मान्यता</li> <li>• राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए दशाएँ</li> <li>• राज्य स्तरीय दलों को मान्यता</li> <li>• वर्तमान में राष्ट्रीय दल</li> <li>• दल परिवर्तन कानून</li> <li>• सारांश</li> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	141
22.	<p>गठबंधन सरकारें</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• भूमिका</li> <li>• गठबंधन सरकार के फायदे</li> <li>• गठबंधन सरकार से नुकसान या हानि</li> <li>• भारत पृष्ठ भूमि में गठबंधन सरकार</li> <li>• सारांश</li> </ul>	146

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	
23.	<p><b>राष्ट्रीय एकीकरण</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• विभिन्न राज्यों का विलय</li> <li>• सारांश</li> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	151
24.	<p><b>राजनीतिक गत्यात्मकताएं</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नृजातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका,</li> <li>• राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार,</li> <li>• नागरिक समाज एवं राजनीतिक आंदोलन,</li> <li>• राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे,</li> <li>• सामाजिक- राजनीतिक संघर्ष के संभावित क्षेत्र</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	162
25.	<p><b>राजस्थान की राज्य राजनीति</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• राज्य की राजनीतिक व्यवस्था (परिचय)</li> <li>• राज्यपाल</li> <li>• मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्</li> <li>• राज्य विधान मण्डल व विधानसभा</li> <li>• उच्च न्यायालय</li> <li>• जिला प्रशासन</li> <li>• स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्था</li> <li>• राजस्थान लोक सेवा आयोग</li> <li>• राज्य मानवाधिकार आयोग</li> <li>• लोकायुक्त</li> <li>• राज्य निर्वाचन आयोग</li> <li>• राज्य सूचना आयोग</li> </ul>	169

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• लोकनीति</li> <li>• विधिक अधिकार</li> <li>• नागरिक अधिकार - पत्र घोषणा पत्र</li> <li>• सारांश</li> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	
	<b>विश्व राजनीति</b>	
1.	<p>शीत युद्धोत्तर दौर में उदीयमान विश्व-व्यवस्था</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व एवं इसका प्रतिरोध</li> <li>• संयुक्त राष्ट्र एवं क्षेत्रीय संगठन,</li> <li>• अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता</li> <li>• अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एवं पर्यावरणीय मुद्दे</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	<b>235</b>
2.	<p>भारत की विदेश नीति</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• उद्विकास,</li> <li>• निर्धारक तत्व,</li> <li>• संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस एवं यूरोपीय संघ एवं पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध</li> <li>• संयुक्त राष्ट्र</li> <li>• गुट निरपेक्ष आंदोलन,</li> <li>• ब्रिक्स, जी- 20, जी-77 एवं सार्क में भारत की भूमिका</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	<b>245</b>

3.	<p>दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया एवं पश्चिम एशिया एवं सुदूर पूर्व में भू-राजनीतिक</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• रणनीतिक मुद्दे</li><li>• उनका भारत पर प्रभाव</li><li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li></ul>	272
----	--	-----

## अध्याय - 1

### संविधान निर्माण

#### राज्यवस्था का परिचय

**राज्य, राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता :-**

- राज्य शब्द का प्रयोग यू तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए भी होता है किंतु इसका वास्तविक अर्थ **किसी प्रांत से ना होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है।**
- वस्तुतः यह एक अमूर्त अवधारणा है अर्थात् इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता।
- उदाहरण के लिए भारत की सरकार संसद न्यायपालिका राज्यों की सरकारें नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है।

#### राज्य के तत्व :-

(1). भू-भाग (2). जनसंख्या (3). सरकार (4). संप्रभुता

**(1). भू-भाग :-** अर्थात् एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए, जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीति क्रियाएँ करती हो। उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भू-भाग है।

**(2). जनसंख्या :-** राज्य होने की शर्त है कि उसके भू-भाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जनसमूह होना चाहिए, जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा।

**(3). सरकार :-** सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है जो व्यावहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। 'राज्य' और 'सरकार' में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है जबकि सरकार उसकी मूर्त व व्यावहारिक अभिव्यक्ति।

**(4). संप्रभुता या प्रभुसत्ता :-** यह राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात् उसकी सरकार के पास अपने भू-भाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए तथा उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए।

राज्य के यह चारों तत्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है।

### शासन के अंग

(1). विधायिका (अर्थात् कानून बनाने वाली संस्था)

(2). कार्यपालिका (अर्थात् कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था)

(3). न्यायपालिका (अर्थात् कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था)

#### शासन के तीनों अंगों में संबंध :-

- किसी देश की राज्यव्यवस्था को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी होता है कि वहाँ शासन के तीनों अंगों में कैसा संबंध है? मोटे तौर पर यह संबंध निम्न प्रकार का हो सकता है -
- कहीं-कहीं यह तीनों अंग परस्पर जुड़े होते हैं उदाहरण के लिए राज्य तंत्र में विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता है। अधिनायक तंत्र/तानाशाही तथा धर्म तंत्र में भी ऐसी ही व्यवस्था देखी जाती है यह लक्षण किसी राज्यव्यवस्था के पारंपरिक तथा गैर-लोकतांत्रिक होने की ओर इशारा करता है।
- कुछ देशों में विधायिका और कार्यपालिका में नजदीक का संबंध होता है, जबकि न्यायपालिका इनसे अलग होती है। यह व्यवस्था संसदीय प्रणाली वाले देशों में दिखाई पड़ती है। इनमें कार्यपालिका, विधायिका का ही अंग होती है जबकि कार्यपालिका इन दोनों से पृथक और स्वतंत्र होती है। भारत और ब्रिटेन को मोटे तौर पर इसके कारण के रूप में देखा जा सकता है।
- अमेरिका जैसे देशों में यह संबंध कुछ अलग है। वहां यह तीनों अंग एक दूसरे से पृथक होते हैं। इसे "शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत" कहते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति का चुनाव जनसाधारण द्वारा निर्वाचित निर्वाचक-गण के माध्यम से होता है। विधायिका के दोनों सदनों का चुनाव जनता अलग अलग तरीके से करती है। न्यायपालिका के पदाधिकारियों का चयन राष्ट्रपति करता है परन्तु इसके लिए उसे सीनेट के समर्थन की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार शासन के तीनों अंग एक-दूसरे की शक्तियों का निर्वाहन करते हैं और इसके लिए संविधान में कई विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। इस सिद्धांत को "नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत" कहते हैं।
- जहां तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न है इसमें शासन के तीनों अंगों का संबंध ना तो पूरी तरह अमेरिका जैसा है और ना ही इंग्लैंड जैसा है। भारत में ब्रिटेन की तरह कार्यपालिका विधायिका से ही बनती है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसके बावजूद भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह इतनी ताकतवर नहीं है कि उसके ऊपर सीमाएं आरोपित ना की जा सकें। भारतीय न्यायपालिका को अमेरिकी न्यायपालिका की तरह यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद द्वारा पारित कानून का

**न्यायिक अवलोकन** कर सके और यदि वह कानून संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हैं तो उसे समाप्त कर सकें।

## शासन प्रणालियों के विभिन्न

### प्रकार -1

राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के हर समाज में हमेशा रही है, किंतु सरकार या शासन प्रणालियों की संरचना हमेशा एक समान नहीं रही है। शासन प्रणालियों के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं।

### प्रकार -2

शासन प्रणाली का वर्गीकरण कुछ अन्य दृष्टि- कोणों से भी किया जा सकता है। दो प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं :-

(1). **केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर :-**

- (a). **परिसंघात्मक प्रणाली**
- (b). **संघात्मक प्रणाली**
- (c). **एकात्मक प्रणाली**

(2). **विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर :-**

- (a). **संसदीय प्रणाली**
- (b). **अध्यक्षीय प्रणाली**

### भारत की प्रणाली :-

भारतीय संविधान निर्माता इस प्रश्न को लेकर अत्यंत सजग थे कि भारत के लिए अध्यक्षीय प्रणाली बेहतर होगी या संसदीय प्रणाली? काफी सोच विचार के बाद उन्होंने **संसदीय प्रणाली को चुना** जिसके दो प्रमुख कारण थे - प्रथम, भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के तहत संसदीय प्रणाली का पर्याप्त अनुभव हो चुका था तथा द्वितीय, **भारत में विद्यमान क्षेत्रीय, सामाजिक तथा धार्मिक वैविध्य** को देखते हुए संसदीय प्रणाली ज्यादा बेहतर प्रतीत हो रही थी।

1990 के दशक में जो राजनीतिक अस्थिरता की समस्या केंद्रीय स्तर पर उत्पन्न हुई उस समय कुछ लोगों ने यह कहा कि अध्यक्षीय प्रणाली को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, किंतु अस्थिरता की समस्या का धीरे-धीरे समाधान हो गया और आज यह मानने में कोई समस्या नहीं है

**कि भारतीय समाज की विशिष्ट जरूरतों की पूर्ति के लिए संसदीय प्रणाली का ही चयन किया जाना उपयुक्त था।**

- **परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य**
- भू-भाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता राज्य के अनिवार्य तत्व हैं।
- विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका प्रायः सभी देशों में शासन के प्रमुख अंग हैं।
- शासक समूह में शामिल व्यक्तियों के संख्या के आधार पर राजतंत्र/तानाशाही, अल्पतंत्र/गुट तंत्र तथा लोकतंत्र प्रमुख शासन प्रणाली हैं।

- विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणाली शासन के प्रमुख प्रकार हैं।
- परिसंघात्मक शासन प्रणाली को '**अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन**' कहा जाता है।
- संघात्मक शासन प्रणाली को '**अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन**' कहा जाता है। संघात्मक से तात्पर्य है राज्यों का केन्द्र से अधिक शक्तिशाली होना।
- **एकात्मक प्रणाली** को '**विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन**' कहा जाता है।
- संसदीय प्रणाली में विधायिका सामान्यतः **निम्न सदन** तथा **उच्च सदन** में विभाजित रहती है।
- संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष / राष्ट्र अध्यक्ष की भूमिका सामान्यतः प्रतीकात्मक होती है, वास्तविक रूप से शासन पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता।

## भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख

### लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना :-

#### ब्रिटिश संवैधानिक योजना :-

- ब्रिटिश शासन प्रणाली "**संवैधानिक राजतंत्र**" पर आधारित है। 1688 ई. से पहले ब्रिटेन में राजतंत्र चलता था, किंतु 1688 ई. में हुई गौरवमयी क्रांति ने राजतंत्र को हटाकर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी। इसका अर्थ है कि आजकल ब्रिटेन में राजा के पास नाम मात्र की शक्ति है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ संविधान के अंतर्गत काम करने वाली संस्थाओं जैसे संसद के पास आ गई हैं।
- ब्रिटेन का **लोकतंत्र संसदीय प्रणाली** पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि **कार्यपालिका का गठन विधायिका अर्थात् ब्रिटिश संसद के सदस्यों में से ही होता है।** चूंकि संसदीय व्यवस्था का जन्म ब्रिटिश संसद से ही हुआ था इसलिए **संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली** भी कहा जाता है। ध्यातव्य है कि 'वेस्टमिंस्टर' लंदन का वह स्थान है, जहां ब्रिटिश संसद भवन स्थित है।
- ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, इसका अर्थ यह है कि यहाँ औपचारिक रूप से गठित किसी संविधान सभा ने कोई ऐसा अकेला दस्तावेज तैयार नहीं किया है, जिसे ब्रिटिश संविधान की संज्ञा दी जा सके।
- ब्रिटेन की संसद अत्यधिक शक्तिशाली है जिसका मूल कारण संविधान का अलिखित होना है। क्योंकि संविधान संसद की शक्तियों पर कोई नियंत्रण लागू नहीं करता, इसलिए **ब्रिटेन की संसद विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया से ही संविधान को बदल सकती है।** यही कारण है कि ब्रिटिश संविधान को सुनम्य या लचीला संविधान भी कहा जाता है।
- ब्रिटेन की शासन प्रणाली **एकात्मक** है, संघात्मक नहीं। एकात्मक शासन का अर्थ है कि स्थानीय शासन की इकाइयों को कानून बनाने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है उन्हें ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार ही कार्य करना होता है।



मौलिक अधिकारी, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति	सरदार पटेल
प्रक्रिया नियम समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
राज्यों के लिए समिति	जवाहरलाल नेहरू
संचालन समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

### प्रारूप समिति

अंबेडकर (अध्यक्ष)

एन गोपालस्वामी आयंगर

अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर

डॉ. के.एम मुंशी

सैय्यद मोहमद सादुल्ला

एन. माधव राव ( बी. एल. मित्रा की जगह )

टी.टी. कृष्णामाचारी (डी.पी खेतान की जगह)

- 4 नवम्बर 1948 को अंबेडकर ने सभा में संविधान का अन्तिम प्रारूप पेश किया गया । इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया ।

- संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया।

- 26 नवम्बर 1949 को अपनाए गये संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी।

### संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व


1. हिन्दू	=	(163)
2. मुस्लिम	=	(80)
3. अनुसूचित जाति	=	(31)
4. भारतीय ईसाई	=	(6)
5. पिछड़ी जनजातियां	=	(6)
6. सिख	=	(4)
7. एंग्लो इंडियन	=	(3)
8. पारसी	=	(3)

### भारत की संविधान सभा में राज्यवार सदस्यता

मद्रास	=	(49)
बॉम्बे (मुंबई)	=	(21)
पश्चिम बंगाल	=	(19)
संयुक्त प्रांत	=	(55)
पूर्वी पंजाब	=	(12)
बिहार	=	(36)
मध्य प्रांत एवं बेरार	=	(17)
असम	=	(8)
उड़ीसा	=	(9)
दिल्ली	=	(1)

- संविधान सभा द्वारा हाथी का प्रतीक (मुहर) के रूप में अपनाया ।

- सर वी. एन. राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।
- संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति**
- एच. वी. आर अयंगर (सचिव)
- एल.एन. मुखर्जी ( चीफ ड्राफ्टमैन )
- प्रेम बिहारी नारायण ( सुलेखक)
- मंदलाल बोस और विउहर (मूल संस्करण का सजावट और सौन्दर्यीकरण )
- 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा की स्थिति :-
- संविधान सभा संप्रभु निकाय बन गई और अब वह कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से पूर्णतः मुक्त थी।
- अब संविधान सभा ने दोहरी भूमिका अदा की - जब यह संविधान निर्माण करती तब इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेन्द्र प्रसाद करते हैं। और विधायिका के रूप में कार्य करते समय अध्यक्षता जी. वी. मांवलंकर करते।
- संविधान सभा में सदस्य (15 Aug 1947 )



### सारांश

- मुगल बादशाह शाह आलम ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी को भारत में दीवानी अधिकार दिए।
- इसे ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द्वारा पुनः स्थापित किया गया।
- बजट की व्यवस्था को ब्रिटिश कालीन भारत में 1860 से शुरू किया गया।
- घोषणा ने स्थापित किया कि ब्रिटिश शासक की सरकार की नीति प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने और स्वशासन संस्थाओं का क्रमिक विकास करने की थी, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के आंतरिक भाग के रूप में भारत उत्तरदायी सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति की जा सके।
- यह भारत में उच्च नागरिक सेवाओं (1923-24) पर ली आयोग की सिफारिशों पर किया गया।
- भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसे राजशाही की संस्तुति मिली।
- यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ।
- दो राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण रेडक्लिफ की अध्यक्षता वाले सीमा आयोग ने किया। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल, उत्तर-पश्चिमी सीमांत क्षेत्र एवं असम का सिलहट जिला शामिल किया।



- ब्रिटिश सरकार के 3 जून 1947 के बयान का राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि जनमत संग्रह का पालन करके उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान पाकिस्तानी राज्य के भू-भाग का हिस्सा बन गए और नतीजन इस क्षेत्र के जनजातीय इलाके इसी राज्य या शासन के अंतर्गत आ गए।

### अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

1. भारत में ब्रिटिश शासन काल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में से निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता है?

- A. भारत शासन अधिनियम, 1919
- B. भारत परिषद् अधिनियम, 1909
- C. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892
- D. भारत शासन अधिनियम, 1935

**उत्तर - A**

2. योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था ?

- A. ली आयोग
- B. मैकाले समिति
- C. इसलिंगटन
- D. मैक्सवेल समिति

**उत्तर - B**

3. निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?

- A. भारतीय परिषद् अधिनियम : निर्वाचन का सिद्धांत 1892
- B. भारतीय परिषद् अधिनियम : उत्तरदायी सरकार 1909
- C. भारत शासन अधिनियम : प्रांतीय स्वायत्तता 1919
- D. भारत शासन अधिनियम : राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका 1935

4. भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित थी?

- A. संघीय व्यवस्थापिका
- B. प्रांतीय व्यवस्थापिका
- C. गवर्नर जनरल
- D. प्रांतीय गवर्नर

**उत्तर - C**

5. निम्न में से किस अधिनियम के प्रान्तों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गयी ?

- A. भारत शासन अधिनियम, 1919
- B. भारत शासन अधिनियम, 1935

- C. भारत परिषद् अधिनियम, 1909
- D. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892

**उत्तर - A**

6. भारत शासन अधिनियम, 1919 मुख्यतया: किस पर आधारित था?

- A. मार्ले-मिटो सुधार
- B. मांटेग्यू - चेम्सफोर्ड सुधार
- C. रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड
- D. नेहरू रिपोर्ट

**उत्तर - B**

7. भारत शासन अधिनियम, 1935 की प्रमुख विशेषताएं हैं?

1. भारत में परिषदों का उन्मूलन
2. केन्द्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका
3. राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का उन्मूलन
4. संघीय न्यायालय की स्थापना

- A. 2 एवं 3
- B. 1, 2, एवं 3
- C. 1, 3 एवं
- D. 1, 2, 3, 4

**उत्तर - D**

8. निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी?

- A. विनियमितीकरण अधिनियम, 1773
- B. पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784
- C. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861
- D. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892

**उत्तर - A**

### गत परीक्षाओं में आये हुये प्रश्न :-

1. उद्देश्य प्रस्ताव में प्रत्याभूत स्वतंत्रता के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए? (RAS - 2021)
2. "आजाद भारत का पहला राजनीतिक चरित्र का नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का था।" केवल तथ्यों के साथ कथन का समर्थन या विरोध कीजिए (RAS - 2021)

### अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

1. संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्विक फलकों पर आधारित है 'प्रसांगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से' संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत का वर्णन कीजिए?
2. संविधान का सभा का चुनाव सीधे भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था विचार करें ?
3. 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा की भूमिका का वर्णन करें ?

## • उपराष्ट्रपति

### भूमिका

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 निर्धारित करता है कि 'भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा'। यह पद देश का द्वितीय सर्वोच्च पद है। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के पश्चात् है। उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर अपनाया गया है। वैकेंया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में 5 अगस्त 2017 को निर्वाचित हुए।

**Note-** जगदीप धनकड भारत के 14 वें उपराष्ट्रपति के रूप में 11 अगस्त 2022 को निर्वाचित हुए

### अर्हताएँ-

उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित की गयी हैं:

- वह भारत का नागरिक हों
- वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हों।
- वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो।
- वह, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किस स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो।
- किन्तु, एक वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्री के पद 'लाभ के पद' नहीं माने जाते हैं। संसद या किसी राज्य विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी हो सकता है।
- यदि वह उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने, यथास्थिति, अपना स्थान, जिस तारीख से उसने उपराष्ट्रपति का पद धारण किया, उस तारीख को रिक्त कर दिया है या इस हेतु अलग से इस्तीफे की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
- इसके अतिरिक्त, उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन हेतु उम्मीदवार को, कम से कम 20 प्रस्तावकों तथा 20 अनुमोदकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

### निर्वाचक

राष्ट्रपति की भाँति, उपराष्ट्रपति को भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किया जाता बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि अपनायी जाती है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो मामलों में भिन्न है

- इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य (राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में केवल निर्वाचित सदस्य) शामिल होते हैं।
- इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं (राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं)।

- किन्तु, दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है अर्थात्, राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से और गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है।

### पदावधि

- उपराष्ट्रपति की पदावधि, उसके पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक होती है। हालाँकि, वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने के पूर्वी भी हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्य सभा द्वारा संकल्प पारित कर प्रभावी बहुमत (Effective Majority) द्वारा हटाया जा सकता है (अर्थात् सदन के कुल सदस्यों का बहुमत) तथा इसमें लोकसभा की सहमति आवश्यक है। परंतु, ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता, जब तक 14 दिन की अग्रिम सूचना न दी गई हो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में उसे हटाने हेतु किसी विशेष आधार का उल्लेख नहीं किया गया है।
- उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी अपने पद पर बना रह सकता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पदग्रहण न कर ले। वह पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है।

### पद रिक्तिता

उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता है:

- 5 वर्षीय पदावधि की समाप्ति होने पर।
  - उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर।
  - उसे बर्खास्त करने पर।
  - उसकी मृत्यु पर।
  - यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य हो अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए।
- जब पद रिक्ति का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो, तब उस पद को भरने हेतु उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव आयोजित किये जाने का प्रावधान है। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, उस स्थिति में शीघ्रातिशीघ्र चुनाव करवाने चाहिए। नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है।

### शक्तियाँ और कार्य

उपराष्ट्रपति के कार्य दोहरी प्रकृति के होते हैं:

- वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में, उसकी शक्तियाँ व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भाँति ही होते हैं। इस संबंध में वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है, जो सीनेट (अमेरिका के उच्च सदन) के चेयरमैन के रूप में कार्य करता है।

- जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक, उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है।
- कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। इस अवधि में उसको कार्यों का निर्वाह, उपसभापति द्वारा किया जाता है।

### भारत एवं अमेरिकी उपराष्ट्रपतियों की तुलना

- यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिकी उपराष्ट्रपति मॉडल पर आधारित है, परंतु इसमें काफी भिन्नता है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है। दूसरी ओर, भारत का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता है। वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले।
- इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संविधान में उपराष्ट्रपति हेतु कोई विशेष कार्य नहीं सौंपा गया है तथा यह पद भारत में मुख्य रूप से राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने हेतु सृजित किया गया है।

### राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों की तुलना

राष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जो संसद के दोनों सदनों के और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है।	निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों तक ही सीमित है। राज्य विधान सभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते।

दोनों दशाओं में निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा।

### अर्हताएँ :-

भारत का नागरिक हो।	भारत का नागरिक हो।
35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।	35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

लोक सभा के लिए निर्वाचित होने के लिए अर्हित हों।	राज्य सभा के लिए निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो।
--	---

दोनों दशाओं में कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए।

### पदावधि:-

पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष।	पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष।
-----------------------------------	-----------------------------------

### पद त्याग :-

उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकता है।	राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकता है।
--	--

### हटाया जाना:-

महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।	महाभियोग नहीं होता किंतु राज्य सभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जिसमें लोक सभा सहमत हो हटाया जा सकता है।
-----------------------------------	--

### पुनर्निर्वाचन:-

चाहे जितनी बार निर्वाचित हो सकता है।	चाहे जितनी बार निर्वाचित हो सकता है।
--------------------------------------	--------------------------------------

### कृत्य :-

संविधान के अधीन अनेक कृत्य	केवल एक ही कृत्य है, राज्य सभा के सभापति के रूप में कृत्य करना। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है।
----------------------------	--

प्रश्न. अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं -

- अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य
  - प्रतिनिधि सभा के सदस्य
  - सीनेट के सदस्य
  - इनमें से कोई नहीं
- उत्तर - d



- संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय है। राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है मुख्य शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं।

### अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

1. भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है -
  - a. न्यायिक प्रक्रिया
  - b. अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया
  - c. विधायी प्रक्रिया
  - d. कार्यकारी प्रक्रिया
 उत्तर - b
2. भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है -
  - a. अनुच्छेद 72
  - b. अनुच्छेद 73
  - c. अनुच्छेद 74
  - d. अनुच्छेद 76
 उत्तर - a
3. सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हैं?
  - a. नीलम संजीव रेड्डी
  - b. राजेन्द्र प्रसाद
  - c. डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम
  - d. प्रणव मुखर्जी
 उत्तर - a
4. भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जाता है?
  - a. अनुच्छेद 52
  - b. अनुच्छेद 61
  - c. अनुच्छेद 74
  - d. अनुच्छेद 78
 उत्तर - b
5. राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल की जा सकती है-
  - a. लोकसभा
  - b. राज्यसभा
  - c. संसद के किसी भी सदन में
  - d. संसद के दोनों सदनो के संयुक्त अधिवेशन
 उत्तर - c
6. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन नहीं होते हैं?
  - a. लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
  - b. राज्यों की विधान परिषद् के सदस्य
  - c. दिल्ली और पुदुचेरी केन्द्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
  - d. उत्तर पूर्व विधानसभाओं सहित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
 उत्तर - b

7. केन्द्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है, के प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार है?
  - a. उपराज्यपाल
  - b. राज्यपाल
  - c. निकटम राज्य सरकार
  - d. राष्ट्रपति
 उत्तर - d
8. निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है?
  - a. राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करना
  - b. राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति
  - c. मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
  - d. राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति
 उत्तर - b

### गत परीक्षा में पूछे गये प्रश्न

प्रश्न 1. उन चार आधारों का उल्लेख कीजिए जिन पर भारत का राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पदच्युत कर सकता है? (RAS - 2016)

प्रश्न 2. राष्ट्रपति की निर्वाचकीय प्रक्रिया में कमियों का वर्णन कीजिए? (RAS - 2018)

### अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न 1. औपचारिक प्रमुख होने के बावजूद भारतीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका है" टिप्पणी करें?

प्रश्न 2. भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति का उल्लेख करें?

प्रश्न 3. यदि राष्ट्रपति द्वारा मृत्युदंड प्राप्त दोषी की याचिका खारिज कर दी जाती है तब भी उसके पास न्यायिक विकल्प मौजूदा रहता है उपर्युक्त वादों के माध्यम से इस कथन की पुष्टि कीजिए?

प्रश्न 4. राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का वर्णन कीजिए?

प्रश्न 5. राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली की व्याख्या कीजिए?

प्रश्न 6. राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में बताइये?

प्रश्न 7. राष्ट्रपति के पद के लिए उपर्युक्त योग्यताएं एवं अर्हताओं के बारे में जानकारी दीजिये?

प्रश्न 8. राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए?

प्रश्न 9. राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन कीजिए?

प्रश्न 10. भारत का राष्ट्रपति 'रबर स्टाम्प मात्र' है, तर्क सहित विवेचना कीजिए?

प्रश्न 11. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का वर्णन कीजिए?

				बीकानेर और जैसलमेर शामिल		सिंह ॥ (जयपुर)	उद्घाटनकर्ता-सरदार पटेल
5.	पंचम	15 मई 1949	संयुक्त वृहत्तर राजस्थान	वृहत् राजस्थान में मत्स्य संघ शामिल	हीरालाल शास्त्री, जयपुर	महाराज सवाई मान सिंह ॥ (जयपुर)	डॉ. शंकरराय समिति की सिफारिश से मत्स्य संघ शामिल
6.	छठा	26 जनवरी 1950	राजस्थान संघ	सिरोही का राजस्थान में विलय (आबू देलवाड़ा को छोड़कर)	हिरालाल शास्त्री जयपुर	महाराज सवाई मान सिंह ॥ (जयपुर)	
7.	सप्तम	1 नवम्बर 1956	आधुनिक राजस्थान	अजमेर - मेरवाड़ा, आबू - देलवाड़ा (सिरोही) व मध्य प्रदेश के मंदसोर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा शामिल किया और सिरोज उपखंड मध्यप्रदेश	मोहन लाल सुखाड़िया के मुख्यमंत्री काल में	राजप्रमुख पद समाप्त, और राजपाल पद का प्रारंभ (जयपुर)	7वें संशोधन से राज्यों की श्रेणियां समाप्त

### वे मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री बने -

	राज्य के मुख्यमंत्री	प्रधानमंत्री कार्यकाल
मोरारजी देसाई	बम्बई राज्य	1977 - 1979
चरणसिंह	उत्तरप्रदेश	1979 - 1980
वी. पी. सिंह	उत्तरप्रदेश	1989 - 90
पी. वी. नरसिम्हा राव	आंध्रप्रदेश	1991 - 1996
एच. डी. देवगौड़	कर्नाटक	1996 - 1997
नरेंद्र मोदी	गुजरात	2014 - At present

### मंत्रिपरिषद और मंत्रीमंडल में अन्तर :-

मंत्रिपरिषद	मंत्रीमंडल
1. यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 - 70 मंत्री होते हैं।	1. यह एक लघु निकाय है जिसमें 15 - 20 मंत्री होते हैं।

2. इसमें मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ - कैबिनेट, राज्यमंत्री व उपमंत्री होते हैं।	2. इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं ; अतः यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है।
3. यह सरकारी कार्यों के लिए एक साथ बैठक नहीं करती। इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है।	3. यह एक निकाय की तरह है, यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करता है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करता है, इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं।
4. इसे सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं परन्तु कागजों में।	4. ये वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है और उसके लिए कार्य करता है।
5. इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रीमंडल करता है।	5. यह मंत्रिपरिषद को राजनैतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है। तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं।
6. यह मंत्रीमंडल के निर्णयों को लागू करती है।	6. यह मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करता है।

### बजट का प्रस्तुतीकरण

- "बजट निर्माण की तैयारी (August - September) से ही प्रारंभ हो जाता है।
- फरवरी के अन्तिम कार्य दिवस को वित्तमंत्री द्वारा लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है।
- तत्पश्चात मंत्री द्वारा स्वम अपने विभागों की अनुमानित माँगें प्रस्तुत की जाती हैं।
- अनुदान मांगों पर बहस व मतदान के लिये 26 दिन का समय निर्धारित किया जाता है, विपक्ष अनुदान मांगों के विरुद्ध कटौती- प्रस्ताव ला सकता है।  
यह कटौती प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं।
  - (1) सांकेतिक कटौती प्रस्ताव
  - (2) नीतिगत कटौती प्रस्ताव
  - (3) मितव्ययता कटौती प्रस्ताव
- (1) सांकेतिक कटौती प्रस्ताव - इसके तहत किसी अनुदान-मांग से 100 रु. घटाने का प्रस्ताव रखा जाता है।
- (2) नीतिगत कटौती प्रस्ताव - इसके तहत किसी अनुदान मांग को घटाकर 1 रु. करने का प्रस्ताव रखा जाता है।

(3) मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव - इसके तहत किसी अनुदान मांग से निश्चित धनराशि घटाने का प्रस्ताव रखा रखा जाता है।

**“कटौती प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है।”**

#### धन-विधेयक (अनुच्छेद- 110)

धन विधेयक पारित होने पर सरकार को धन एकत्र करने की अनुमति मिलती है।

- धन विधेयक में 6 बिन्दु होते हैं - कर की दर बढ़ाया, घटाना, संचित निधि से धन निकालना या जमा करना, संचित निधि का लेखा एवं लेखा परीक्षण।
- धन विधेयक पर लोकसभा का विशेषाधिकार होता है, राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। यदि किसी विधेयक में उपरोक्त 6 बातों के अतिरिक्त कुछ और भी होता है, तो उसे वित्त विधेयक कहा जाता है वित्त विधेयक पर राज्य सभा का समान अधिकार होता है।
- विनियोग विधेयक - विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही सरकार संचित निधि से धन निकाल सकती है।

### वित्त विधेयक

वित्त विधेयक		
<p><b>अनुच्छेद - 110</b> यदि किसी विधेयक में केवल अनु. - 110 के प्रावधान हो तथा अन्य कोई प्रावधान न हो तो इसे धन विधेयक कहते हैं।</p>	<p><b>अनु. 117 (1)</b> - यदि किसी विधेयक में अनु. 110 के प्रावधान हों और उनके साथ अन्य प्रावधान भी हों। यह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लेकिन इसे इसके बाद साधारण विधेयक की भांति पेश किया जाता है।</p>	<p><b>अनु. 117 (3)</b> यदि किसी विधेयक में अनु. 110 का कोई भी प्रावधान नहीं हों तो लेकिन संचित निधि से संबंधित अन्य कोई प्रावधान हो, इसे राष्ट्रपति की पूर्वा - नुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद सदन चर्चा शुरू करता है।</p>

सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं लेकिन सभी वित्त विधेयक, धन विधेयक नहीं होते।

- बजट के बाद सरकार संसद में विभिन्न प्रस्ताव के माध्यम से अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकती है।
  - अनुपूरक माँगें - यह माँगें वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पूर्व संसद में रखी जाती हैं।
  - (ii) अतिरिक्त माँगें - यह माँगें वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद संसद में रखी जाती हैं।
  - (iii) अपवाद माँगें - यह माँगें विशेष प्रयोजन के लिये संसद में रखी जाती हैं।
  - (iv) प्रत्यानुदान - यह माँगें आपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिये संसद में रखी जाती हैं।

**प्रश्न. 15वीं लोकसभा में आंगल - भारतीय समुदाय के दो मनोनीत में से एक केरल से हैं और अन्य हैं?**

- (A) मिजोरम (B) गोवा से  
(C) छत्तीसगढ़ (D) मणिपुर

उत्तर :-C

**प्रश्न. भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी ?**

- (A) उत्तर प्रदेश में (B) बिहार  
(C) तमिलनाडु (D) दिल्ली

उत्तर :-A



## अध्याय - 12

### उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुत्रावलोकन

भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया गया है। न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के आकार की होती है, जिसमें सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय माध्यमिक स्तर पर उच्च न्यायालय तथा निचले स्तर पर जिला अदालत होती है।

- 1793 में कॉर्नवालिस के शासनकाल में निचली अदालतों का गठन किया गया।
- 1861 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट के अनुसार प्रथम तीन उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। (बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, )
- 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत फेडरल कोर्ट का गठन किया गया। यही वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय है। इन अदालतों की डंड प्रणाली एवं कार्य प्रणाली ब्रिटिश काल में ही निर्मित हो गई थी
- 1860 में आईपीसी इंडियन पैनल कोर्ट का गठन हुआ। 1862 में इसे लागू कर दिया गया।
- 1908 में सिविल प्रोसेशन कोर्ट अस्तित्व में है।
- 1973 में क्रिमिनल कोर्ट प्रोसेशन कोर्ट अस्तित्व में आई।
- भारत में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। (सर्वोच्च न्यायालय)
- सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है।
- भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद की है।
- भारतीय न्यायपालिका की स्थिति U.S.A. एवं U.K. के मध्य में है।
- U.S.A. में न्याय सर्वोच्चता की स्थिति है।
- फेडरल कोर्ट संसद से अधिक शक्तिशाली है।
- U.K. में संसदीय संप्रभुता की स्थिति है। संसद, न्यायपालिका की स्थिति में श्रेष्ठ है। भारत में संसदीय संप्रभुता और न्याय व्यवस्था के मध्य की स्थिति को अपनाया गया।
- संविधान के दायरे में दोनों ही शक्तिशाली हैं।

### भारतीय सर्वोच्च न्यायालय (आर्टिकल - 124)

- 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, परंतु वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट 1935 के फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी है। 28 जनवरी 1950 से अस्तित्व में है।
- मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा सात अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान है। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश व 34 अन्य न्यायाधीश हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। परंतु 1993 से ही सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम निर्णायक भूमिका निभा रहा है।

- इस कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के साथ चार वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं।
- राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है तथा यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में कहीं भी वकालत नहीं कर सकते।
- [जब सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे परमादेश (मैंडमस) कहते हैं।]

### सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हता (योग्यता)

- किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो।
- किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो।
- राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता रहा हो।
- H. J. Kania सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
- वर्तमान JI → उदय उमेश ललित (49वाँ) N.V. रमन्ना (48वाँ)
- K. N. Singh मात्र 18 दिन तक ही मुख्य न्यायाधीश रहे।
- राजेंद्र बाबू मात्र 23 दिन तक ही मुख्य न्यायाधीश रहे।
- Y. V. Chandrachud भारत के सबसे अधिक समय तक सीजीआई थे।
- 1973 में ए. एन. राय को वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन करते हुए सीजेआई बनाया गया।
- फातिमा बीवी पहली महिला न्यायाधीश थी। (सुप्रीम कोर्ट)
- वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 11 महिला न्यायाधीश हैं।
- अन्य महिला न्यायाधीश हैं - सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान - सुधा - मिश्रा, रंजना प्रकाश देसाई।
- अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना, का प्रावधान है।
- [महान्यायवादी, इसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार है, लेकिन वोट डालने का नहीं।]
- [महान्यायवादी, जो संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है।]
- [महान्यायवादी को उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।]

- (1) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल :- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है।

**न्यायाधीशों का कार्यकाल :-** संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित तीन उपबंध बनाए गये हैं :-

1. वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है, उसके मामले में किसी प्रश्न उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी।
2. वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है।
3. संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है।

### सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया

- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कार्यकाल के बीच से केवल संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है।
  - कदाचार एवं शारीरिक एवं मानसिक असमर्थता के आधार पर भी हटाया जा सकता है।
  - किसी भी सदन द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है। परंतु इसके लिए लोकसभा के कम से कम 100 अथवा राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा लिखित प्रस्ताव देना होता है।
  - इस प्रस्ताव के बाद संबंधित सदन में सभापति के सदस्यों द्वारा 3 सदस्यी समिति का गठन किया जाता है।
  - इस समिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा एक विधिवेत्ता (कानून विशेषज्ञ) शामिल होता है। समिति की रिपोर्ट के बाद सभापति द्वारा एक सत्र बुलाए जाने का प्रस्ताव रखा जाता है।
  - यह प्रस्ताव एक ही सत्र में पारित होना चाहिए।
  - इस प्रस्ताव को प्रत्येक सदन कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित करता है।
  - दूसरे सदन के न्यायाधीशों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर न्यायाधीश को पद मुक्त कर दिया जाता है।
  - अभी तक हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों के प्रति यह प्रस्ताव लाया जा चुका है, परंतु यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।
1. 90 के दशक में पंचाब हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश सी वी रामास्वामी के विरुद्ध प्रस्ताव लोक सभा में गिर गया था।
  2. हाई कोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन के खिलाफ प्रस्ताव राज्य सभा ने पारित कर दिया व उन्होंने त्यागपत्र दे दिया।
  3. हाई कोर्ट के ही न्यायाधीश S. Dinkaran ने समिति की रिपोर्ट आने के बाद त्याग पत्र दे दिया।
- राष्ट्रपति की सहमति से मुख्य न्यायाधीश द्वारा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है।

### सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

- सुप्रीम कोर्ट अपील की सबसे बड़ी अदालत है।
- हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, परंतु इसके लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।
- कोर्ट मार्शल अदालतों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती।

**-प्रारंभिक अपील -** निम्न स्थितियों में पहली अपील सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है।

- I. मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले। (आर्टिकल - 32)
  - II. यदि किसी मुकदमे में एक पक्ष भारत सरकार का हो।
  - III. जब दो राज्यों के मध्य विवाद हो।
  - IV. राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में।
- इसी बेंच में यह निर्णय लिया गया कि संविधान का मूल चरित्र उल्लंघनीय है।

### राष्ट्रपति का सलाहकार

**- सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 व 143 के तहत राष्ट्रपति को न्यायिक सलाह प्रदान करता है।**

[आर्टिकल 124 के तहत दी गई सलाह एक बाध्यकारी होती है, तथा आर्टिकल 143 के तहत दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं होती।]

सुप्रीम कोर्ट आवश्यक अनुच्छेद के तहत मांगी गई सलाह को देने के लिए बाध्य है।

**प्रश्न. भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आते हैं / आता है?**

- (A) भारत का महान्यायावादी
  - (B) भूतपूर्व राष्ट्रपति
  - (C) चीफ ऑफ स्ट्राक्स
  - (D) लोकसभा अध्यक्ष
- उत्तर - B**

**उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता :-**

1. नियुक्ति का तरीका
  2. कार्यकाल की सुरक्षा
  3. निश्चित सेवा शर्तें
  4. संचित निधि से व्यय
  5. न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती।
  6. सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक।
  7. अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति।
  8. अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता।
  9. इसके न्यायक्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती।
  10. कार्यपालिका से पृथक।
- भारतीय लोकतांत्रिक एवं राजपद्धति में उच्चतम न्यायालय को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। यह संघीय न्यायालय, याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर और संविधान का अभिभावक है। इस तरह इसे प्रदत्त कार्य करने के लिए प्रभावी स्वतंत्रता और अधिकार अहम हैं। यह अतिक्रमण, दबाव और हस्तक्षेप से स्वतंत्र होना चाहिए। इसे बिना डर या पक्षपात के न्याय देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

**3. उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार :-**  
अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तरह यह न केवल संघीय न्यायालय है, बल्कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह अपील का अंतिम न्यायालय है, बल्कि यह संविधान और



## उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

### अपीलीय क्षेत्राधिकार

- उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के निर्णयों, आदेशों तथा डिक्रियों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है।

### प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार

उच्च न्यायालय को राजस्व तथा संग्रह, मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार है।

### अन्तरण संबंधी क्षेत्राधिकार

- यदि उच्च न्यायालय को यह समाधान हो जाए कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लम्बित किसी मामले में संविधान की व्याख्या के बारे में कोई प्रश्न न्यायालय के विचाराधीन है, जिसका उस मामले से संबंध है, तो वह उस मामले को अपने पास मंगा सकता है और मामले पर निर्णय कर सकता है और निर्णय करके उस मामले को ऐसे प्रश्न पर निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस न्यायालय को, जिससे मामला अन्तरित किया गया था, भेजकर उस निर्णय के अनुसार मामले के निपटारे का आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित वाद को किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय को स्थानान्तरित कर सकता है।

### लेख जारी करने का अधिकार

उच्च न्यायालय मूलाधिकारों के उल्लंघन के मामले में बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पृच्छा लेख जारी कर सकता है।

### अधीक्षण क्षेत्राधिकार

- प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता के अधीनस्थित सभी न्यायालयों तथा अधिकरणों की अधीक्षण की शक्ति है, जिसके प्रयोग में वह ऐसे न्यायालयों / अधिकरणों से विवरणी मंगा सकता है,
- उनके अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली प्रविष्टियों और लेखाओं के प्रारूप निश्चित कर सकता है तथा उनके शुल्कों को नियत कर सकता है।

### ई-कोर्ट

- न्यायालय की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से ई-कोर्ट का प्रचलन प्रारम्भ किया गया है। देश में पहला मॉडल ई-कोर्ट गुजरात में अहमदाबाद में अहमदाबाद सिटी सिविल एवं सेशन न्यायालय में स्थापित किया गया है।
- ई-कोर्ट में आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायाधीश के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्शा सकेंगे तथा बयान भी दे सकते हैं। इससे कारागारों से उन्हें न्यायालय तक लाने ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कारागार व पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त फोरेंसिक लेबोरेटरी को भी इससे पहले ई-कोर्ट परियोजना में न्यायालय से आनलाइन सम्बद्ध किया गया है।

## • न्यायिक पुनरावलोकन / समीक्षा

**न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है जो केंद्र एवं राज्य सरकारों पर लागू होती है।**

### कानून की अवधारणा:

- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया:** इसका अर्थ है कि विधायिका या संबंधित निकाय द्वारा अधिनियमित कानून तभी मान्य होता है जब सही प्रक्रिया का पालन किया गया हो।
- कानून की उचित प्रक्रिया:-** यह सिद्धांत न केवल इस आधार पर मामले की जाँच करता है कि कोई कानून किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित तो नहीं करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून उचित और न्यायपूर्ण हो।
- भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।
- न्यायिक समीक्षा के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे- सरकारी कार्रवाई को रोकना और सरकार द्वारा किये गए किसी भी अनुचित कृत्य के खिलाफ संविधान का संरक्षण करना।**
- न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना (इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस 1975) माना जाता है।
- न्यायिक समीक्षा को भारतीय न्यायपालिका के व्याख्याकार और पर्यवेक्षक की भूमिका में देखा जाता है।
- स्वतः संज्ञान के मामले और लोक हित याचिका (PIL), लोकस स्टैंडी (Locus Standi) के सिद्धांत को विराम देने के साथ ही न्यायपालिका को कई सार्वजनिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई है, उस स्थिति में भी जब पीड़ित पक्ष द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई हो।

### न्यायिक समीक्षा के प्रकार:

#### विधायी कार्यों की समीक्षा:

इस समीक्षा का तात्पर्य यह सुनिश्चित करना है कि विधायिका द्वारा पारित कानून के मामले में संविधान के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

#### प्रशासनिक कार्यवाही की समीक्षा:

यह प्रशासनिक एजेन्सियों पर उनकी शक्तियों का निर्वहन करते समय उनपर संवैधानिक अनुशासन लागू करने के लिये एक उपकरण है।

#### न्यायिक निर्णयों की समीक्षा:

इस समीक्षा का उपयोग न्यायपालिका द्वारा पिछले निर्णयों में किसी भी प्रकार का बदलाव करने या उसे सही करने के लिये किया जाता है।

#### न्यायिक समीक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान

- किसी भी कानून को अमान्य घोषित करने के लिये न्यायालयों को सशक्त बनाने संबंधी संविधान में कोई भी

प्रत्यक्ष अथवा विशिष्ट प्रावधान नहीं हैं, लेकिन संविधान के तहत सरकार के प्रत्येक अंग पर कुछ निश्चित सीमाएँ लागू की गई हैं, जिसके उल्लंघन से कानून शून्य हो जाता है।

- न्यायालय को यह तय करने का कार्य सौंपा गया है कि संविधान के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं
- न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया का समर्थन करने संबंधी कुछ विशिष्ट प्रावधान
- अनुच्छेद 372 (1): यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व बनाए गए किसी कानून की न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 13: यह अनुच्छेद घोषणा करता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, मान्य नहीं होगा।
- अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक एवं गारंटीकर्ता की भूमिका प्रदान करते हैं।

**प्रश्न.** "भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करें "

**अतः स्थापित किया गया -**

- (A) 15 वें संविधान संशोधन द्वारा
- (B) 16 वें संविधान संशोधन द्वारा
- (C) 17 वें संविधान संशोधन द्वारा
- (D) 18 वें संविधान संशोधन द्वारा

**उत्तर - A**

- अनुच्छेद 251 और अनुच्छेद 254 में कहा गया है कि संघ और राज्य कानूनों के बीच असंगतता के मामले में राज्य कानून शून्य हो जाएगा।
- अनुच्छेद 246 (3) राज्य सूची से संबंधित मामलों पर राज्य विधायिका की अनन्य शक्तियों को सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 245 संसद एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों की क्षेत्रीय सीमा तय करने से संबंधित है।
- अनुच्छेद 131-136 में सर्वोच्च न्यायालय को व्यक्तियों तथा राज्यों के बीच, राज्यों तथा संघ के बीच विवादों में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई है।
- अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने हेतु एक विशेष शक्ति प्रदान करता है।

**किसके खिलाफ न्यायिक समीक्षा की मांग की जा सकती है?**

न्यायिक समीक्षा की कार्यवाही किसी भी व्यक्ति या निकाय के खिलाफ किसी सार्वजनिक कार्य के लिए लाई जा सकती है। आम तौर पर यह कहते हुए कि व्यक्ति या शरीर को पहले स्थान पर निर्णय लेने के वैधानिक कार्य के साथ व्यक्ति या शरीर को सशक्त बनाने वाले कानून के तहत स्थापित किया जाता है।

केवल उच्च न्यायालय, और, अपील पर, सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की कार्यवाही का मनोरंजन करने का अधिकार क्षेत्र है। न्यायिक समीक्षा उन अदालतों के खिलाफ एक उपाय नहीं है। उन अदालतों के फैसलों को केवल उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

एक व्यक्ति कुछ परिस्थितियों में निजी निकायों के खिलाफ न्यायिक समीक्षा की कार्यवाही कर सकता है यदि वे निकाय सार्वजनिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, आयरिश प्राइवेटिंग क्लब लिमिटेड, एक निजी लिमिटेड कंपनी, के खिलाफ न्यायिक समीक्षा कार्यवाही उन परिस्थितियों में की गई थी जहाँ उस कंपनी को ग्रेहाउंड उद्योग अधिनियम 1958 के तहत कुछ वैधानिक कार्य दिए गए थे।

**न्यायिक समीक्षा अनुप्रयोगों के लिए समय सीमा**

हाल ही में एक संशोधन के बाद, अदालत के लागू नियमों में अब यह कहा गया है कि इस तरह की कार्यवाही शुरू होने की तारीख से 3 महीने के भीतर शुरू की जानी चाहिए। अन्य मामलों की न्यायिक समीक्षा की कार्यवाही करने के लिए समय सीमाएँ इस प्रकार हैं:-

सामान्य मामले: 3 महीने

आव्रजन मामलों:- निर्णय की तारीख से 14 दिन

योजना निर्णय:- 8 सप्ताह

सार्वजनिक अनुबंधों का पुरस्कार:- 30 दिन

न्यायिक समीक्षा मामलों को लेने के लिए समय का विस्तार :-

असाधारण परिस्थितियों में, अदालत द्वारा समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है यदि यह मानता है कि ऐसा करने के लिए अच्छा और पर्याप्त कारण है।

विलंबित अनुप्रयोगों को आम तौर पर मना कर दिया जाएगा, और, वास्तव में, कुछ मामलों को लाया गया अंदर यदि आवेदक की देरी हुई है या किसी प्रतिवादी या तीसरे पक्ष को पक्षपात का कारण होने की संभावना है, तो समय सीमा को अभी भी खारिज किया जा सकता है।

**न्यायिक समीक्षा कार्यवाही कैसे काम करती है?**

- न्यायिक समीक्षा दो चरणों वाली प्रक्रिया है। पहले उदाहरण में, "छुट्टी" के लिए एक आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है।
- आवेदक को अदालत के दस्तावेजों को तैयार करना होगा और कुछ विस्तार से बताना होगा कि वह क्या राहत चाहता है, और किस आधार पर, और पर्याप्त या लिखित साक्ष्य के साथ अपने आवेदन का समर्थन करने के लिए जाना चाहिए (एक "शपथ पत्र" के रूप में) अधिक व्यक्तियों, मामले के लिए प्रासंगिक।
- इसके बाद अदालत के सामने पेश होना चाहिए और आवेदकों की ओर से वकील और वकील ने जो कागजात तैयार किए हैं, उनके आधार पर छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा। कुछ अपवादों के अलावा, यह बिना किसी नोटिस के

## अध्याय - 25

### राजस्थान की राज्य राजनीति राज्य की राजनीतिक व्यवस्था (परिचय)


#### राज्य की परिभाषा -

**अरस्तु के अनुसार** - "राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है इसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है।"

**सिसरो के शब्दों में** - " राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्य को उस समुदाय के लाभों को परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है।"

**बुडरो विल्सन** - "किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के लिए संगठित जनता को राज्य कहते हैं।"

**ब्लंशली** - "किसी निश्चित भू प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है।"



#### राज्य के तत्व

**1. जनसंख्या (population)** - राज्य में जनसंख्या का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें कोई व्यक्ति नहीं रहता हो। इसलिए एक राज्य को राज्य तभी कहा जा सकता है जब उसमें एक निश्चित मात्रा में जनसंख्या हो।

**2.- निश्चित क्षेत्र या भूभाग (territory)** - राज्य के लिए एक निश्चित भू-भाग होना आवश्यक है। निश्चित भू-भाग राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है, जनसंख्या की तरह ही निश्चित भू-भाग के बिना भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती।

**3.- सरकार (government)** - राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व राज्य में सरकार या शासन का होना है। सरकार को राज्य की आत्मा कहा जाता है। किसी निश्चित भू-भाग पर रहने वाले लोगों को तब तक राज्य नहीं कहा जा सकता, जब तक वहां कोई शासन न हो। ऐसी संस्था का होना आवश्यक है जिसका आदेश मानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो।

**4.- संप्रभुता (sovereignty)** - संप्रभुता राज्य होने की पहचान है। किसी समाज में अन्य तीन तत्वों के होने पर भी जब तक उसमें संप्रभुता न हो वह राज्य नहीं बन सकता राज्य में। नियमों को लागू करने वाली एजेन्सी हो सकती

है परन्तु संप्रभुता नहीं हो सकती। संप्रभुता केवल राज्य की ही विशिष्टता है और यह राज्य का आवश्यक अंग भी है।

#### राज्यपाल

- भारतीय संविधान के भाग-VI में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान पहले जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता था लेकिन अब सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
- राज्य में राज्यपाल का उसी प्रकार से स्थान है जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति का (कुछ मामलों को छोड़कर)।
- **अनुच्छेद 153** के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। **लेकिन 7वें संविधान संशोधन-1956** द्वारा इसमें एक अन्य प्रावधान जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 154** के तहत राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख "राज्यपाल" होता है लेकिन **अनुच्छेद 163** के तहत राज्यपाल अपनी स्व-विवेक शक्तियों के अलावा सभी कार्य मंत्रिपरिषद् की सलाह पर करता है अर्थात् राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् में निहित होती है।
- **अनुच्छेद 155** के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अर्थात् राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति अधिपत्र (वारंट) जारी करते हैं जिसे मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है।



- **राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान ' कनाडा ' से लिया गया है।**

संविधान लागू होने से लगाकर वर्तमान तक राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं बन गईं जो निम्न हैं -

- (i) संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे।
- (ii) राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले ताकि समय दानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो

### राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में गठित प्रमुख आयोग व उनकी सिफारिश

#### सरकारिया आयोग

गठन-1983 रिपोर्ट- 1987 अध्यक्ष- रणजीत सिंह सरकारिया

#### सिफारिश -

- राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो।
- राज्य के बाहर का निवासी होना चाहिए।
- राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए।
- सक्रिय राजनीति में भागीदारी नहीं ले रहा हो राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए।
- 5 वर्ष की निश्चित पदावली हो।
- राज्यपाल को हटाए जाने से पूर्व एक बार चेतावनी देनी चाहिए अथवा पूर्व सूचना दी जानी चाहिए।

#### द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग

वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली (कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में गठित। वर्ष 2010 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया।

#### सिफारिश -

- इस आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा जबकि उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता इसके सदस्य होंगे लेकिन सुझाव स्वीकार नहीं किया गया था।

#### पूछी आयोग

गठन-2007 रिपोर्ट- 2010 अध्यक्ष- मदनमोहन पूछी

#### सिफारिश -

- केंद्र राज्य संबंधों की जांच हेतु गठित पूछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए विधानमंडल में महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया।
- राज्यपाल को किसी भी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए।
- राज्य की विधानसभा में पारीत विधेयक पर राज्यपाल को 6 माह में निर्णय लेना चाहिए।

### राजमन्नार आयोग

गठन-1969 रिपोर्ट- 1971 अध्यक्ष- डॉ. वी.पी. राजमन्नार

**NOTE-** सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग व पूछी आयोग का संबंध राज्यपाल की नियुक्ति और केंद्र-राज्य संबंधों से है।

**अनुच्छेद 156** इस अनुच्छेद में राज्यपाल की पदावधि/ कार्यकाल का उल्लेख लिया गया है।

अर्थात् राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा।

- राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है तथा राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देता है।
- राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है।
- राज्यपाल को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है।
- राज्यपाल अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण नहीं कर ले।

- **राज्यपाल को हटाने के आधार का उल्लेख संविधान में नहीं है।**

**अनुच्छेद 157** राज्यपाल पद योग्यताएँ/ अर्हताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।(जन्म से आवश्यक नहीं)
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. और वह राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने योग्य हो।

**अनुच्छेद 158** राज्यपाल पद की सेवा शर्तें व वेतन भत्ते

1. किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो।
  2. यदि संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल का पद धारण करने की तिथि से वह पद रिक्त मान लिया जाएगा।
- राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद (संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित) करती है।
  - राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से जबकि पेंशन भारत की संचित निधि में से दी जाती है।
  - राज्यपाल का वेतन ₹350000 है जो कर मुक्त होता है।
  - पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है।
  - यदि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है (7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा) तो भी उसे वेतन। पद का होगा परंतु इसका वहन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में संबंधित राज्यों द्वारा किया जाएगा।

**अनुच्छेद 159** राज्यपाल पद की शपथ

- राज्यपाल या राज्यपाल पद के कार्यो का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को राज्यपाल पद की या राज्यपाल पद के कार्य निर्वहन की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है राज्यपाल संविधान के परिरक्षण,

९. किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबन्ध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किन्तु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुरःस्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया: अब (RAS. PRE. 2018)

- (1) जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा।
- (2) राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इंकार कर सकता है।
- (3) राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिये भेज देगा।
- (4) यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबन्धों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा।

उत्तर - (1)

- राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर पुनर्विचार के लिए विधान मंडल को लौटा दे तो ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 माह के भीतर उस पर पुनर्विचार करेगा और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा किन्तु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है।

(अनुच्छेद 201)

- राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान करदे। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है जिससे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा होगा।
- अनुच्छेद 213 जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश विधानमंडल के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक जारी रहता है। अध्यादेश उसी विषय पर जारी किया जा सकता है जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार होता है। अध्यादेश का वही महत्व है जो राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानून का होता है। अध्यादेश राज्यपाल का स्व- विवेक नहीं है तथा अध्यादेश भी विधि होने के कारण न्यायपालिका में चुनौती देने योग्य है। अध्यादेश दो तरीकों से समाप्त किया जा सकता है- (i) निर्धारित अवधि में विधान मंडल द्वारा स्वीकृत नहीं किए जाने पर (ii) राज्यपाल से कभी भी वापस ले सकते हैं।
- अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। (NOTE- 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत इस प्रावधान को निरसित के दिया गया है।)

### 3. वित्तीय अधिकार -

- अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट) प्रस्तुत करने के लिए कहता है।
- अनुच्छेद 198 के तहत विधान सभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही पेश किया जा सकता है।
- राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता।
- राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन तथा अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है (अनुच्छेद 243 1- पंचायतीराज, अनुच्छेद 243 4- नगर निकायों के लिए )
- अनुच्छेद 267 के तहत राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राज्यपाल का होता है तथा इस निधि से पैसे निकालने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है।

### 4. न्यायिक अधिकार -

- अनुच्छेद 161 राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत वह किसी दंड को क्षमा, उसका प्रबिलम्बन, विराम या परिहार कर सकता है या किसी दंडा देश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है।
  - यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिस के संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। (अनुच्छेद 161)
- नोट -** राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्युदंड आदेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है जबकि राज्यपाल को मृत्युदंड आदेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय (कोर्ट-मार्शल) के दंडा देश के मामले में क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है।

### 5. स्व- विवेकीय शक्तियाँ

- स्व- विवेकीय शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं- (1.) संविधान प्रदत्त अर्थात जिनका संविधान में उल्लेख है। (2.) परिस्थितिजन्य स्वविवेक शक्ति अर्थात जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है।

संविधान प्रदत्त स्वविवेक शक्ति	परिस्थितिजन्य स्वविवेक शक्ति
अनुच्छेद 163 के तहत कुछ मामलों में राज्य मंत्रीपरिषद् की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।	यदि विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है तो राज्यपाल स्वविवेक से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है।
अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है।	यदि कार्यकाल के दौरान किसी पदस्थ मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो अपने विवेक से अन्य को

	मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है।
अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है।	मंत्रिपरिषद् भंग करने के संबंध में (विशेष परिस्थितियों में)
अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री से सूचना लेने के संबंध में।	
राज्य विधानसभा को भंग करने में	

### 6. आपातकालीन शक्तियाँ

- राज्यपाल को किसी भी प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं।
- जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जा सकता है तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर (अनुच्छेद 356) यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले अर्थात् राष्ट्रपति शासन लागू कर दें।
- NOTE-एम.पी. शर्मा-** " राज्यपाल को संकटकालीन शक्तियों से रहित राष्ट्रपति कहा है"।
- NOTE-सरोजिनी नायडु-** "राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी है"।
- NOTE-दुर्गादास बसु-** " थोड़े में राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान हैं, सिर्फ कुटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर"।

### 7. विशेष दायित्व

- अनुच्छेद 371** के तहत महाराष्ट्र व गुजरात के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्व निर्धारित किए गए हैं महाराष्ट्र राज्यपाल विदर्भ व मराठवाडा तथा गुजरात का राज्यपाल कच्छ व सौराष्ट्र के विकास के लिए विकास बोर्ड का गठन कर सकते हैं।
- अनुच्छेद 371(A)** के तहत नागालैंड में, **अनुच्छेद 371(F)** के तहत सिक्किम में, **अनुच्छेद 371(H)** के तहत अरुणाचल प्रदेश में **अनुच्छेद 371(J)** के तहत कर्नाटक में कानून

अधिरोपण की तारीख	प्रत्यावर्तन की तारीख	राष्ट्रपति शासन लागू होने का कारण
13 मार्च 1967	26 अप्रैल 1967	चुनाव के अनिश्चित परिणाम
29 अप्रैल 1977	22 जून 1977	सरकार ने विधानसभा में बहुमत के समर्थन के बावजूत हरी देव जोशी को खारिज कर दिया।
16 फरवरी 1980	6 जून 1980	सरकार ने भैरोसिंह शेखावत को विधानसभा में बहुमत में समर्थन देने के बावजूद बखसित कर दिया था।
15 दिसंबर 1992	4 दिसंबर 1993	सरकार ने भैरोसिंह शेखावत को विधानसभा में बहुमत से समर्थन देने के बावजूद बखसित कर दिया।

व्यवस्था बनाए रखना वहाँ के राज्यपाल के विशेष दायित्व है।

### अनुच्छेद- 361 राज्यपाल / राष्ट्रपति/ राजप्रमुख के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ -

- अपने पद पर अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्य पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।
- राज्यपाल की अवधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती।
- जब वह अपने पद पर तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता।
- राज्यपाल का पदग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में सिविल कार्यवाही करने से पहले प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है- (i) उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। (ii) सूचना में पक्षकारको अपना नाम, पता, कार्यवाही की प्रकृति इत्यादि का विवरण देना होता है।

### राजस्थान में राज्यपाल

- राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे।
- राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण जी थे।
- 30 मार्च, 1949 - 31 अक्टूबर, 1956 तक राजस्थान में राजप्रमुख का पद था। इस पद पर जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह-II को नियुक्त किया गया जो राजस्थान के पहले राज्यप्रमुख थे जिन्हें राज्यपाल के समकक्ष माना जाता है। 1 नवंबर, 1956 को संविधान संशोधन द्वारा राजस्थान में राज्यप्रमुख व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था।
- राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनी, दूसरी महिला राज्यपाल श्रीमती प्रभारव तथा श्रीमती मार्गेट अल्वा राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल थी।
- राज्यपाल डॉ संपूर्णानंद के कार्य काल में राज्य में पहली बार 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था।



20.	श्री मिला पचंद जैन (कार्यवाहक)	3 फरवरी, 1990 - 13 फरवरी, 1990
21.	प्रो. देवीप्रसाद चटोपाध्याय	14 फरवरी, 1990 - 25 अगस्त, 1991
22.	डॉ स्वरूप सिंह (कार्यवाहक)	26 अगस्त, 1991 -4 फरवरी, 1993
23.	डॉ. एम. चेन्नारेड्डी	5 फरवरी, 1992 - 30 मई, 1993
24.	श्री धनिक लाल मंडल (कार्यवाहक)	31 मई, 1993 - 29 जून, 1993
25.	श्री बलि राम भगत	30 जून, 1993 - 30 अप्रैल, 1998
26.	सरदार दरबारा सिंह	1 मई, 1998 - 23 मई, 1998
27.	श्री एन.एल. टिबेरवाल (कार्यवाहक)	24 मई, 1998 - 15 जनवरी, 1999
28.	जस्टिस अंशुमान सिंह	16 जनवरी, 1999 - 13 मई, 2003
29.	श्री निर्मल चंद्र जैन	14 मई, 2003 - 13 जनवरी, 2004
30.	श्री कैलाश पति मिश्रा (कार्यवाहक)	22 सितम्बर, 2003 - 13 जनवरी, 2004
31.	श्री मदनलाल खुराना	14 जनवरी, 2004 - 31 अक्तूबर, 2004
32.	श्री टी.वी. राजेश्वर (कार्यवाहक)	1 नवम्बर, 2004 - 7 नवम्बर, 2004

33.	श्री मति प्रतिभा पाटिल	8 नवम्बर, 2004 - 23 जून, 2007
34.	डॉ ए. आर. किदवई (कार्यवाहक)	23 जून, 2007 - 5 सितम्बर, 2007
35.	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	6 सितम्बर, 2007 - 9 जुलाई, 2009
36.	श्री रामेश्वर ठाकुर (कार्यवाहक)	10 जुलाई, 2009 - 22 जुलाई, 2009
37.	श्री शिलेन्द्र कुमार सिंह	23 जुलाई, 2009 - 24 जनवरी, 2010
38.	श्री मती प्रभाराव (कार्यवाहक)	03 दिसम्बर, 2009 - 24 जनवरी, 2010
39.	श्रीमती प्रभाराव	25 जनवरी, 2010 - 26 अप्रैल, 2010
40.	श्री शिवराज पाटिल (कार्यवाहक)	28 अप्रैल, 2010 - 11 मई, 2012
41.	श्रीमती मापोंट आलवा	12 मई, 2012 - 7 अगस्त, 2014
42.	श्री रामनाईक (कार्यवाहक)	8 अगस्त, 2014 - 3 सितम्बर, 2014
43.	श्री कल्याणसिंह	8 सितम्बर, 2014- 8 सितम्बर, 2019
44.	श्री कलराज मिश्र	9 सितम्बर, 2019 से लगातार .....

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -  (Proof Video Link)

**RAS PRE. 2021** - <https://shorturl.at/qBJ18> (74 प्रश्न, 150 में से)

**RAS Pre 2023** - <https://shorturl.at/tGHRT> (96 प्रश्न, 150 में से)

**Rajasthan CET Gradu. Level** - <https://youtu.be/gPqDNlc6URO>

**Rajasthan CET 12th Level** - <https://youtu.be/oCa-CoTFu4A>

**RPSC EO / RO** - <https://youtu.be/b9PKj14nSxE>

**VDO PRE.** - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856Wl8&t=202s>

**Patwari** - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s>

**PTI 3<sup>rd</sup> grade** - [https://www.youtube.com/watch?v=iA\\_MemKKgEk&t=5s](https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s)

**SSC GD - 2021** - <https://youtu.be/2gzzfJyt6vl>

<b>EXAM (परीक्षा)</b>	<b>DATE</b>	<b>हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या</b>
<b>RAS PRE. 2021</b>	27 अक्टूबर	74 प्रश्न आये
<b>RAS Mains 2021</b>	October 2021	52% प्रश्न आये
<b>RAS Pre. 2023</b>	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 में से)
<b>SSC GD 2021</b>	16 नवम्बर	68 (100 में से)

whatsapp - <https://wa.link/uwc5lp> 1 web.- <https://bit.ly/3X6MGue>







<b>SSC GD 2021</b>	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
<b>RPSC EO/RO</b>	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
<b>राजस्थान S.I. 2021</b>	14 सितम्बर	119 (200 में से)
<b>राजस्थान S.I. 2021</b>	15 सितम्बर	126 (200 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	23 अक्तूबर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	103 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	24 अक्तूबर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	91 (150 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	27 दिसम्बर (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	59 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	27 दिसम्बर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	61 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	28 दिसम्बर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	57 (100 में से)
<b>U.P. SI 2021</b>	14 नवम्बर 2021 1 <sup>st</sup> शिफ्ट	91 (160 में से)
<b>U.P. SI 2021</b>	21 नवम्बर 2021 (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	89 (160 में से)
<b>Raj. CET Graduation level</b>	07 January 2023 (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	96 (150 में से)
<b>Raj. CET 12<sup>th</sup> level</b>	04 February 2023 (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	98 (150 में से)





**& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.**



# Our Selected Students

Approx. 137+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	<b>Mohan Sharma</b> S/O Kallu Ram	Railway Group - d	11419512037002 2	PratapNag ar Jaipur
	<b>Mahaveer singh</b>	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
	<b>Sonu Kumar Prajapati</b> S/O Hammer shing prajapati	SSC CHSL tier- 1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	<b>Mahender Singh</b>	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumang arh
	<b>Lal singh</b>	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumang arh
N.A	<b>Mangilal Siyag</b>	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

	<b>MONU S/O KAMTA PRASAD</b>	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	<b>Mukesh ji</b>	RAS Pre	1562775	newai tonk
	<b>Govind Singh S/O Sajjan Singh</b>	RAS	1698443	UDAIPUR
	<b>Govinda Jangir</b>	RAS	1231450	Hanumang arh
N.A	<b>Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma</b>	RAS	N.A.	Churu
	<b>DEEPAK SINGH</b>	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawa la
N.A	<b>LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL</b>	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	<b>Ramchandra Pediwal</b>	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

	<b>Monika jangir</b>	RAS	N.A.	jhunjhunu
	<b>Mahaveer</b>	RAS	1616428	village- gudaram singh, teshil-sojat
N.A.	<b>OM PARKSH</b>	RAS	N.A.	Teshil- mundwa Dis- Nagaur
N.A.	<b>Sikha Yadav</b>	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
	<b>Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel</b>	Rac batalian	729141135	Dis.- Bhilwara
N.A.	<b>mukesh kumar bairwa s/o ram avtar</b>	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUN U
N.A.	<b>Rinku</b>	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	<b>Rupnarayan Gurjar</b>	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	<b>Govind</b>	SSB	4612039613	jhalawad

	<b>Jagdish Jogi</b>	EO/RO Marks) (84	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	<b>Vidhya dadhich</b>	RAS Pre.	1158256	kota

And many others.....

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp करें - <https://wa.link/uwc5lp>

Online order करें - <https://bit.ly/3X6MGue>

Call करें - **9887809083**